

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
स०८डी०(बजट आवंटन-२२२५)१४-१०/२०१६-

११९

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना ।

पटना, दिनांक

२७.०३.१७

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में मांग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष "२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनु० जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० N2225010010001 के अन्तर्गत कुल ₹ ८९,५०१/- (न्वासी हजार पाँच सौ एक ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में गैरयोजना के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के स्थापना पर होने वाले व्यय के लिए विभागीय आवंटनादेश संख्या ०३ दिनांक १८/०४/२०१६, पत्रांक १५ दिनांक ३०/०६/२०१६, २१ दिनांक १८/०७/२०१६, ४२ दिनांक १५/०९/२०१६, ६६ दिनांक १२/१२/२०१६, ७३ दिनांक १६/०१/२०१७, ७६ दिनांक १७/०१/२०१७, १०९ दिनांक ०३/०३/२०१७, १११ दिनांक १७/०३/२०१७ तथा ११३ दिनांक २०/०३/२०१७ द्वारा आवंटन दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक ३०७५ दिनांक २१.०३.२०१७ के द्वारा श्री विद्यासागर ओझा, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, बाढ़ का स्वयं किडनी रोग की चिकित्सा पर व्यय की गई राशि कुल ₹ ८९,५०१/- (न्वासी हजार पाँच सौ एक ₹०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ६८२ दिनांक १७/०३/२०१७ द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए ०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में ₹ ८९,५०१/- (न्वासी हजार पाँच सौ एक ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

२- इस राशि का उप आवंटन अपने स्तर से अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बाढ़ को करेंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धोषित है ।

३- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में मांग संख्या-४४ के आय-व्यय शीर्ष "२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनु० जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- ०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० N2225010010001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

४- वित्त विभाग के पत्रांक २५६१ दिनांक १७-४-९८ के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे । जिला कल्याण पदा०, पटना, प्रत्येक माह व्यय विवरणी टी०भी० नम्बर/ तिथि के साथ अगले माह की १०वी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक ।

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)14-10/2016- 119 पटना, दिनांक 27-03-12

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक  
27/3/12

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)14-10/2016- 119 पटना, दिनांक 27-03-12

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त पटना / प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना । बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक  
27/3/12

1/11/12